


आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशासा के पश्चात ग्राम रोटवाडा के खाता सं. 97 खसरा नं. 10/12, 113/12, 115, 116/12, 117, 119, 120, 123, 14, 144/2, 123/2 में आवेदन पत्र अनुसार रजनाथप्रिंह के स्थान पर रजुनाथप्रिंह शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत रोटवाडा में दिनांक 30-5-25 को मजमेआम में सुनाया गया।


सपुत्रसुन्दर अधिकारी
फागी, जयपुर